

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0<br>सं0 | कार्मिक का नाम | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान | नवीन तैनाती का स्थान                    | अभ्युक्ति |
|-------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 1           | 2              | 3               | 4                       | 5                                       | 6         |
| 1           | श्रीमती आशा    | नर्सिंग अधिकारी | जिला चिकि0 अल्मोडा      | सामु0स्वा0केन्द्र सुयालबाडी,<br>नैनीताल | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21066

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अल्मोडा/
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम           | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान | नवीन तैनाती का स्थान         | अभ्युक्ति |
|----------|--------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-----------|
| 1        | 2                        | 3               | 4                       | 5                            | 6         |
| 1        | श्रीमती गीना रानी पंचोली | नर्सिंग अधिकारी | जिला चिकि0 देहरादून     | उप जिला चिकि0 श्रीनगर, पौड़ी | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21070

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देहरादून/उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर, पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
 (जे0 एस0 चुफाल)  
 संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान          | नवीन तैनाती का स्थान   | अभ्युक्ति |
|----------|----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-----------|
| 1        | 2              | 3               | 4                                | 5                      | 6         |
| 1        | श्रीमती रेश्मा | नर्सिंग अधिकारी | उप जिला चिकि० प्रेमनगर, देहरादून | जिला चिकि० रुद्रप्रयाग | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21072

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग/उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान          | नवीन तैनाती का स्थान                    | अवस्था |
|----------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| 1        | 2              | 3               | 4                                | 5                                       | 6      |
| 1        | श्रीमती मंजू   | नर्सिंग अधिकारी | बी०डी० पाण्डे जिला चिकि० नैनीताल | सामु०स्वा०केन्द्र देवायल, सल्ट, अल्मोडा | जनहित  |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनीयता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21074

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी०डी० पाण्डे जिला चिकि० नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जो एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राधिकारों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0<br>सं0 | कार्मिक का नाम     | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान            | नवीन तैनाती का स्थान            | अभ्युक्ति |
|-------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1           | 2                  | 3               | 4                                  | 5                               | 6         |
| 1           | श्रीमती नमिता नेगी | नर्सिंग अधिकारी | उप जिला चिकित्सा अधिकारी, देहरादून | सामु0स्वा0केन्द्र थत्यूड, टिहरी | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनीयता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजीका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आवरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
 (जे0 एस0 चुगल)  
 संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0<br>सं0 | कार्मिक का नाम | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान | नवीन तैनाती का स्थान                  | अभ्युक्ति |
|-------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1           | 2              | 3               | 4                       | 5                                     | 6         |
| 1           | श्रीमती अनुपमा | नर्सिंग अधिकारी | जिला चिकि0 अल्मोडा      | सामु0स्वा0केन्द्र बैजनाथ,<br>बागेश्वर | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21078

तददिनांक।

प्रतिनिधि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/बागेश्वर।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 अल्मोडा।
- मुख्य/दरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/बागेश्वर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
13/08/24  
(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम       | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान       | नवीन तैनाती का स्थान               | अभ्युक्ति |
|----------|----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                    | 3               | 4                             | 5                                  | 6         |
| 1        | श्रीमती मोनिका वर्मा | नर्सिंग अधिकारी | उप जिला चिकि० रुडकी, हरिद्वार | सामु०स्वा०केन्द्र कीर्तिनगर, टिहरी | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनीयता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21080

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्ड, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/टिहरी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० रुडकी, हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
 (जे० एस० चुफाल)  
 संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राक्कानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कोलम -04 से कोलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम     | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान      | नवीन तैनाती का स्थान            | अभ्युक्ति |
|----------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1        | 2                  | 3               | 4                            | 5                               | 6         |
| 1        | श्रीमती ममता बिष्ट | नर्सिंग अधिकारी | बेस चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल | उप जिला चिकि0 सोमेश्वर, अल्मोडा | जनहित     |

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21082 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौरु मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला बेस चिकि0 हल्द्वानी/सोमेश्वर, अल्मोडा।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)



**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम     | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान          | नवीन तैनाती का स्थान                  | अभ्युक्ति |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                  | 3               | 4                                | 5                                     | 6         |
| 1        | श्रीमती नीलम चौधरी | नर्सिंग अधिकारी | उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल | सामु0स्वा0केन्द्र द्वाराहाट, अल्मोडा। | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 34/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राक्कानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कोलम-04 से कोलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान   | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|----------|----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| 1        | 2              | 3               | 4                         | 5                    | 6         |
| 1        | श्रीमती शंशे   | नर्सिंग अधिकारी | जिला महिला चिकि० हरिद्वार | जिला चिकि० पौड़ी     | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उराके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)  
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 34/पैरा/ उप0/169/2024/

21086

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० हरिद्वार/जिला चिकि० पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
(जे० एस० चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम       | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|----------|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 1        | 2                    | 3               | 4                       | 5                    | 6         |
| 1        | श्रीमती मोनिका चौहान | नर्सिंग अधिकारी | जिला चिकि0 हरिद्वार     | जिला चिकि0 पौड़ी     | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21088

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 हरिद्वार/जिला चिकि0 पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम     | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान                 | नवीन तैनाती का स्थान                 | अभ्युक्ति |
|----------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                  | 3               | 4                                       | 5                                    | 6         |
| 1        | श्रीमती गंगा बिष्ट | नर्सिंग अधिकारी | प्रा०स्वा०के० जी०बी० पन्त चिकि० नैनीताल | सामु०स्वा०केन्द्र भिकियासैण, अल्मोडा | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21090

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनदेस संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्बन्धित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान         | नवीन तैनाती का स्थान              | अवधि  |
|----------|----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1        | 2              | 3               | 4                               | 5                                 | 6     |
| 1        | श्रीमती अरुणा  | नर्सिंग अधिकारी | बेस चिकित्सा हल्द्वानी, नैनीताल | उप जिला चिकित्सा रानीखेत, अल्मोडा | जनवरी |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/रवाना कराते हुये बमर प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाये। निर्धारित समयवधि में अत्युक्त न किया जान अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र परीक्षा में तदनुसार बर्हिष्ट कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार नितम्बन आदि के कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सारा आधी)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21092

तददिनांक।

प्रतिनिधि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौरु मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सा हल्द्वानी, नैनीताल/उप जिला चिकित्सा रानीखेत, अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(सो १९१० पुकाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरा/चिकित्सा)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान      | नवीन तैनाती का स्थान           | अभ्युक्ति |
|----------|----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1        | 2              | 3               | 4                            | 5                              | 6         |
| 1        | श्रीमती अरुणा  | नर्सिंग अधिकारी | बेस चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल | उप जिला चिकि0 रानीखेत, अल्मोडा | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21092

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल/उप जिला चिकि0 रानीखेत, अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम    | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान        | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------|
| 1        | 2                 | 3               | 4                              | 5                    | 6         |
| 1        | श्रीमती रीना जोशी | नर्सिंग अधिकारी | उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून | जिला चिकि० पौड़ी     | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र समी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21094

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० पौड़ी/उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून।
- मुख्य/दरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम      | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|----------|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 1        | 2                   | 3               | 4                       | 5                    | 6         |
| 1        | श्रीमती नीतू बिलियम | नर्सिंग अधिकारी | जिला चिकि० देहरादून     | जिला चिकि० पौड़ी     | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21096 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० देहरादून/जिला चिकि० पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)



कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम       | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान     | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|----------|----------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----------|
| 1        | 2                    | 3               | 4                           | 5                    | 6         |
| 1        | श्रीमती अंजु पुण्डरी | नर्सिंग अधिकारी | उप जिला मेला चिकि0 हरिद्वार | जिला चिकि0 पौड़ी     | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21066

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 पौड़ी/ उप जिला मेला चिकि0 हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम  | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान         | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| 1        | 2               | 3               | 4                               | 5                    | 6         |
| 1        | सुश्री ऋतु सिंह | नर्सिंग अधिकारी | सामु0स्वा0के0 डोईवाला, देहरादून | जिला चिकि0 पौड़ी     | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आयी)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21064

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।



(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-18 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम       | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान          | नवीन तैनाती का स्थान               | अभ्युक्ति |
|----------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                    | 3               | 4                                | 5                                  | 6         |
| 1        | श्रीमती नीलिमा बिष्ट | नर्सिंग अधिकारी | बी0डी0 पाण्डे जिला चिकि0 नैनीताल | सामु0स्वा0केन्द्र पदमपुरी, नैनीताल | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21062 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी0डी0 पाण्डे जिला चिकि0 नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक जो उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम      | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान        | नवीन तैनाती का स्थान | अन्युक्ति |
|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------|
| 1        | 2                   | 3               | 4                              | 5                    | 6         |
| 1        | श्रीमती हेमलता रयाल | नर्सिंग अधिकारी | उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून | जिला चिकि0 पौड़ी     | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21060

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 ऋषिकेश/ जिला चिकि0 पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 कुशल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम    | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|----------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 1        | 2                 | 3               | 4                       | 5                    | 6         |
| 1        | श्रीमती पूजा सिंह | नर्सिंग अधिकारी | जिला चिकि0 देहरादून     | जिला चिकि0 पौड़ी     | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21058

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/जिला चिकि0 पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0<br>सं0 | कार्मिक का नाम    | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 1           | 2                 | 3               | 4                       | 5                    | 6         |
| 1           | श्रीमती पूजा सिंह | नर्सिंग अधिकारी | जिला चिकि0 देहरादून     | जिला चिकि0 पौड़ी     | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रनाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21058

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/जिला चिकि0 पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0<br>सं0 | कार्मिक का नाम | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान | नवीन तैनाती का स्थान                  | अभ्युक्ति |
|-------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1           | 2              | 3               | 4                       | 5                                     | 6         |
| 1           | श्रीमती सीमा   | नर्सिंग अधिकारी | जिला चिकि0 देहरादून     | सामु0स्वा0केन्द्र<br>प्रतापनगर, टिहरी | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दयाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की रिथिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21056

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम    | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान       | नवीन तैनाती का स्थान                 | अभ्युक्ति |
|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                 | 3               | 4                             | 5                                    | 6         |
| 1        | श्रीमती किरन काला | नर्सिंग अधिकारी | उप जिला चिकि० कोटद्वार, पौड़ी | सामु०स्वा०केन्द्र जखोली, रुद्रप्रयाग | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21054

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/रुद्रप्रयाग।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० कोटद्वार, पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/रुद्रप्रयाग।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)



कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आवेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम      | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान       | नवीन तैनाती का स्थान | अव्युक्ति |
|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-----------|
| 1        | 2                   | 3               | 4                             | 5                    | 6         |
| 1        | श्रीमती शालिनी राणा | नर्सिंग अधिकारी | सामु0रवा0के0 कीर्तिनगर, टिहरी | जिला चिकि0 देहरादून  | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनीयता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21052

तददिनांक।

प्रतिनिधि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पीडी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी, गढ़वाल/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकि0 देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी, गढ़वाल/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0<br>सं0 | कार्मिक का नाम      | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान       | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|-------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-----------|
| 1           | 2                   | 3               | 4                             | 5                    | 6         |
| 1           | श्रीमती रीना तडियाल | नर्सिंग अधिकारी | जिला चिकि0 गोपेश्वर,<br>चमोली | जिला चिकि0 देहरादून  | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21050 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 गोपेश्वर, चमोली/जिला चिकि0 देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223528/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम     | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|----------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 1        | 2                  | 3               | 4                       | 5                    | 6         |
| 1        | श्रीमती ज्योति राय | नर्सिंग अधिकारी | जिला चिकि० रुद्रप्रयाग  | जिला चिकि० देहरादून  | जनहित     |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21048

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० रुद्रप्रयाग/जिला चिकि० देहरादून।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी/रुद्रप्रयाग/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 08 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-08 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223528/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राधिकारों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुभेदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम       | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान        | नवीन तैनाती का स्थान             | अभ्युक्ति |
|----------|----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1        | 2                    | 3               | 4                              | 5                                | 6         |
| 1        | श्रीमती सुनीता आर्या | नर्सिंग अधिकारी | सामु0स्वा0के0 बैजनाथ, बागेश्वर | उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल | जनहित     |


- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21046 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
13/08/24  
(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम      | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान         | नवीन तैनाती का स्थान           | अभ्युक्ति   |
|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1        | 2                   | 3               | 4                               | 5                              | 6           |
| 1        | श्रीमती आरती कार्की | नर्सिंग अधिकारी | उप जिला चिकि० धारचूला पिथौरागढ़ | महिला चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल | निजी अनुरोध |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21044 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकि० धारचूला, पिथौरागढ़/महिला चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र०सं० | कार्मिक का नाम        | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान            | नवीन तैनाती का स्थान            | अभ्युक्ति   |
|---------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1       | 2                     | 3               | 4                                  | 5                               | 6           |
| 1       | श्रीमती निकिता गर्वाल | नर्सिंग अधिकारी | सामु0स्वा0के0 मुनस्यारी, पिथौरागढ़ | उप जिला चिकि0 धारचूला पिथौरागढ़ | निजी अनुरोध |


- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21042 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 धारचूला पिथौरागढ़।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान          | नवीन तैनाती का स्थान              | अभ्युक्ति   |
|----------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1        | 2              | 3               | 4                                | 5                                 | 6           |
| 1        | श्रीमती मौना   | नर्सिंग अधिकारी | बी०डी० पाण्डे जिला चिकि० नैनीताल | उप जिला चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल। | निजी अनुरोध |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21040 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी०डी० पाण्डे जिला चिकि० नैनीताल/उप जिला चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम    | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान           | नवीन तैनाती का स्थान            | अभ्युक्ति   |
|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1        | 2                 | 3               | 4                                 | 5                               | 6           |
| 1        | श्रीमती काजल बजाज | नर्सिंग अधिकारी | सामु0स्वा0के0 देवायल सल्ट अल्मोडा | जिला चिकि0 रुद्रपुर, उधमसिंहनगर | निजी अनुरोध |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21038 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंहनगर।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 रुद्रपुर उधमसिंहनगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंहनगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)



**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 34/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0सं0 | कार्मिक का नाम     | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान | नवीन तैनाती का स्थान                 | अभ्युक्ति   |
|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1       | 2                  | 3               | 4                       | 5                                    | 6           |
| 1       | श्रीमती रीना आर्या | नर्सिंग अधिकारी | महिला चिकित्सा नैनीताल  | उप जिला चिकित्सा हल्द्वानी, नैनीताल। | निजी अनुरोध |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रत्यापन-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाये। निर्धारित सन्ध्यावधि में अभ्युक्ति न किया जाना अनुशासनीयता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासितिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक को नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(लारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 34/पैरा/उप0/169/2024/

21036

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुर्नाल नगड़ नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, नैनीताल/उप जिला चिकित्सा हल्द्वानी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जो रसो कुभार)  
संयुक्त निदेशक (पैरा/निदेशक)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम  | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान     | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति   |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| 1        | 2               | 3               | 4                           | 5                    | 6           |
| 1        | श्री अमित कुमार | नर्सिंग अधिकारी | सामु0स्वा0के0 जोशीमठ, चमोली | जिला चिकि0 देहरादून। | निजी अनुरोध |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21034

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम        | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति   |
|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1        | 2                     | 3               | 4                       | 5                    | 6           |
| 1        | श्रीमती अंजली पी०सिंह | नर्सिंग अधिकारी | जिला चिकि० अल्मोड़ा     | जिला चिकि० पिथौरागढ़ | निजी अनुरोध |


- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21032 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० अल्मोड़ा/जिला चिकि० पिथौरागढ़।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
 (जे० एस० चुफाल)  
 संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम     | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान     | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति      |
|----------|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 1        | 2                  | 3               | 4                           | 5                    | 6              |
| 1        | श्रीमती बबीता राणा | नर्सिंग अधिकारी | सामु0स्वा0के0 थत्यूड, टिहरी | जिला चिकि0 देहरादून। | निजी<br>अनुरोध |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)  
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21030

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 34/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राधिकारों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कोलम-04 से कोलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र. सं. | कार्मिक का नाम         | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान        | नवीन तैनाती का स्थान            | अभ्युक्ति   |
|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1        | 2                      | 3               | 4                              | 5                               | 6           |
| 1        | सुश्री दिव्या त्रिपाठी | नर्सिंग अधिकारी | उप जिला चिकि० रानीखेत, अल्मोडा | सामु०स्वा०के० कोटाबाग, नैनीताल। | निजी अनुरोध |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सन्धी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासकीयता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 34/पैरा/उप0/169/2024/

21028

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० रानीखेत, अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 34/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर मॉडल स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख क्रिकेट कोलम-04 से कोलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम    | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान       | नवीन तैनाती का स्थान | अव्युक्ति   |
|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| 1        | 2                 | 3               | 4                             | 5                    | 6           |
| 1        | श्रीमती बेबी देवी | नर्सिंग अधिकारी | उप जिला चिकि० कोटद्वार, पौड़ी | जिला चिकि० हरिद्वार  | निजी अनुबंध |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुये प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अदभुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की वरिष्ठ पत्रिका में तदनुसार प्रदर्शित कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 34/पैरा/उप0/169/2024/ 21026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० कोटद्वार, पौड़ी/जिला चिकि० हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0<br>सं0 | कार्मिक का नाम       | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान | नवीन तैनाती का स्थान              | अभ्युक्ति      |
|-------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1           | 2                    | 3               | 4                       | 5                                 | 6              |
| 1           | श्रीमती हिमांगी सिंह | नर्सिंग अधिकारी | जिला चिकि0 चम्पावत      | महिला चिकि0 हल्द्वानी,<br>नैनीताल | निजी<br>अनुरोध |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21024

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 चम्पावत/महिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
13/08/24  
(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम      | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान         | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति   |
|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| 1        | 2                   | 3               | 4                               | 5                    | 6           |
| 1        | श्रीमती संजू डेनियल | नर्सिंग अधिकारी | सामु0स्वा0के0 पुरोला, उत्तरकाशी | जिला चिकि0 देहरादून  | निजी अनुरोध |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21022

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)



**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम    | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान          | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति   |
|----------|-------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|-------------|
| 1        | 2                 | 3               | 4                                | 5                    | 6           |
| 1        | सुश्री आशमा खातून | नर्सिंग अधिकारी | सामु0स्वा0के0 जखोली, रुद्रप्रयाग | जिला चिकि0 हरिद्वार। | निजी अनुसंध |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सारा आया)  
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21070

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राधिकारों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान         | नवीन तैनाती का स्थान             | अभ्युक्ति   |
|----------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1        | 2              | 3               | 4                               | 5                                | 6           |
| 1        | श्रीमती हेमलता | नर्सिंग अधिकारी | उप जिला चिकि० धारचूला पिथौरागढ़ | उप जिला चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल | निजी अनुरोध |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21018

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० धारचूला, पिथौरागढ़/उप जिला चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
13/08/24  
(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति   |
|----------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1        | 2              | 3               | 4                       | 5                    | 6           |
| 1        | श्रीमती पूजा   | नर्सिंग अधिकारी | जिला चिकि० रुद्रप्रयाग  | जिला चिकि० हरिद्वार  | निजी अनुरोध |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)  
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21016

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० रुद्रप्रयाग/जिला चिकि० हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।



(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान        | नवीन तैनाती का स्थान               | अम्बुक्ति   |
|----------|----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1        | 2              | 3               | 4                              | 5                                  | 6           |
| 1        | श्रीमती अनु    | नर्सिंग अधिकारी | सामु0स्वा0के0 नौगांव उत्तरकाशी | सामु0स्वा0के0 बहादुराबाद, हरिद्वार | निजी अनुरोध |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21014

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
13/08/24  
(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम    | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान      | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति   |
|----------|-------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| 1        | 2                 | 3               | 4                            | 5                    | 6           |
| 1        | श्रीमती ममता जोशी | नर्सिंग अधिकारी | उप जिला चिकि० श्रीनगर, पौड़ी | जिला चिकि० देहरादून  | निजी अनुरोध |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)  
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21012

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० श्रीनगर, पौड़ी/जिला चिकि० देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
3108/24  
(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम    | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान       | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति   |
|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| 1        | 2                 | 3               | 4                             | 5                    | 6           |
| 1        | श्री आशीष पुरसोडा | नर्सिंग अधिकारी | सामु0स्वा0के0 प्रतापनगर टिहरी | जिला चिकि0 देहरादून  | निजी अनुरोध |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21009

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी, गढ़वाल/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
13/08/24  
(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक-05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक-08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राधिकारों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान   | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति   |
|----------|----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| 1        | 2              | 3               | 4                         | 5                    | 6           |
| 1        | श्रीमती बबीता  | नर्सिंग अधिकारी | सामु0स्वा0के0 हिण्डोलाखाल | जिला चिकि0 देहरादून  | निजी अनुरोध |

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21007

तददिनांक।

(तारा आयी)  
महानिदेशक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कौलम -04 से कौलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान        | नवीन तैनाती का स्थान                | अभ्युक्ति   |
|----------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1        | 2              | 3               | 4                              | 5                                   | 6           |
| 1        | श्री सादिक अली | नर्सिंग अधिकारी | सामु0स्वा0के0 बेतालघाट नैनीताल | उप जिला चिकि0 काशीपुर, ऊधमसिंह नगर। | निजी अनुरोध |


- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21005 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकि0 काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/ नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
13/08/24  
(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)



देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-08 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से पारस्परिक स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम    | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान        | नवीन तैनाती का स्थान           | अभ्युक्ति             |
|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1        | श्रीमती रूचि नेगी | नर्सिंग अधिकारी | उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून | जिला चिकि० देहरादून            | पारस्परिक स्थानान्तरण |
| 2        | श्री नवीन अग्रवाल |                 | जिला चिकि० देहरादून            | उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून |                       |

- सम्बन्धित कार्मिको को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिको को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप०/169/2024/

21003

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० देहरादून/उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से पारस्परिक स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम                | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान        | नवीन तैनाती का स्थान           | अभ्युक्ति             |
|----------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                             | 3               | 4                              | 5                              | 6                     |
| 1        | श्रीमती प्रियंका चौहान        | नर्सिंग अधिकारी | उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून | सामु०स्वा०के० यमकेश्वर, पौड़ी  | पारस्परिक स्थानान्तरण |
| 2        | श्रीमती सोनिया अंजुल द्विवेदी |                 | सामु०स्वा०के० यमकेश्वर, पौड़ी  | उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून |                       |

- सम्बन्धित कार्मिकों को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21001

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

**कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से पारस्परिक स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम         | पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति   |
|----------|------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1        | 2                      | 3               | 4                       | 5                    | 6           |
| 1        | श्रीमती ममता           | नर्सिंग अधिकारी | जिला चिकि0 देहरादून     | मेला चिकि0 हरिद्वार  | पारस्परिक   |
| 2        | श्रीमती लक्ष्मी ध्यानी |                 | मेला चिकि0 हरिद्वार     | जिला चिकि0 देहरादून  | स्थानान्तरण |

- सम्बन्धित कार्मिको को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रनार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिको को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आयी)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 20998

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौडी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/ हरिद्वार।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/उप जिला मेला चिकि0 हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

  
(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)